तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 12/2025 जीसीएमएस : 2025/26 रघुवीर आदि बनाम रिछपाल आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 209 आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये
21.04.2025	पत्रावली वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत डाबी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्रावली पेशी में लेने हेतु निवेदन करने पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वादी अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आ. 6नि.17 व 151 सीपीसी प्रस्तुत वाद पत्र की अनुतोष में संशोधन हेतु निवेदन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र पर नो ऑब्जेक्शन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। वादी अधिवक्ता संशोधित वाद पत्र पेश किया। रिकार्ड पर लिया जाता है। वकील वादी निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 द्वारा अपने हिस्से की भूमि का विक्रय कर दिया गया है तथा वर्तमान रिकार्ड में विवादित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 5 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रकरण से प्रभावित पक्षकार नहीं होने से प्रतिवादीगण की तलबी की आवश्यक्ता नहीं है ना ही प्रतिवादीगण से वादीगण का कोई अनुतोष शेष रह गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बैयनामा एवं राजस्व रिकार्ड जमाबंदी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 रिछपाल व प्रतिवादी सं. 2 सुभाषचन्द्र द्वारा विवादित भूमि में से अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 5 को जरिए पंजीबद्ध बैयनामा के विक्रय कर दी है, जिसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में भूमि प्रतिवादीगण के स्थान पर प्रतिवादी सं. 5 लक्ष्मण के नाम से दर्ज हो चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी सं. 1 व 2 को रजि. डाक द्वारा प्रेषित सम्मन/नोटिस पर लेने से इंकार की रिपोर्ट अंकित है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए वादी अधिवक्ता की प्रार्थना अनुसार प्रतिवादी सं. 1 व 2 के विरूद्ध वादी का अनुतोष बन्द किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 5 के अधिवक्ता सामुहिक रूप से निवेदन किया कि प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण सहखातेदारान है, वादीगण द्वारा खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है जिस पर प्रतिवादीगण सहमत है और ईकाबाली जवाब दावा पेश किया जा चुका है। अधिवक्तागण उभयपक्ष निवेदन किया कि वाद पत्र एवं जवाब वाद पत्र में वर्णित अनुसार खाता विभाजन किया जाता है तो पक्षकारान सहमत है। वादीगण को वादी के कब्जा काश्त एवं प्रतिवादीगण को उनके कब्जा काश्त अनुसार वाद पत्र एवं जवाब वाद पत्र में दर्ज अनुसार विवादित भूमि वादीगण प्रत्येक को पृथक पृथक एवं प्रतिवादीगण सं. 3 व 5 को पृथक पृथक भूमि का किलावाईज बंटवारा करते हुए खाता विभाजन की डिक्री जारी की जाकर पक्षकारों को विभाजित भूमि में उनके हिस्सानुसार खातेदार घोषित किया जावे एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेश देने के लिए निवेदन किया। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। वाद पत्र एवं जवाब वाद पत्र व दस्तावेजों का गहनता से परिशीलन किया गया। विवादित भूमि चक 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर खाता सं. 119 में दर्ज मु.नं. 75, 101 व 102 की कुल 12.663है. कमाण्ड/अ. क. वादीगण रघुवीर [illegible] व सुभाष पुत्र वेदपाल प्रत्येक 1/4 हिस्सा [illegible] 325/12663 हिस्सा तथा प्रतिवादी बीरबलराम पुत्र [illegible] हिस्से के नाम से संयुक्त व लक्ष्मण पुत्र बीरबलराम [illegible] में शामिल वादीगण [illegible] में राजस्व रिकार्ड दर्ज है। [illegible] प्रतिवादी सं. 3 व 5 जवाब प्रत्येक के कब्जा काश्त की भूमि तथा [illegible] वाद पत्र में वर्णित प्रत्येक के कब्जा क[illegible] की भूमि का रिकार्ड में दर्ज अपने हिस्सानुसार खाता विभाजन करवा स्वयं को खातेदार घोषित करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में चूंकि प्रकरण में मुख्य अनुतोष खाता विभाजन का है तथा प्रकरण में कब्जा काश्त एवं किसी विशेष खसरा को लेकर पक्षकारों के मध्य कोई विवाद नहीं है। ऐसी	

उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्र.सं. 12/2025 जीसीएमएस : 2025/26 रघुवीर आदि बनाम रिछपाल आदि वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए आरटीएक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो जो इस हुक्म की तामील में जारी किये गये

स्थिति में वाद पत्र स्वीकार कर विवादित भूमि का पक्षकारों के मध्य खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 5 के द्वारा अपने वाद पत्र एवं जवाब वाद पत्र में अंकित अनुसार एवं अधिवक्तागण उभयपक्ष द्वारा पक्षकारों की ओर से प्रकट की गयी सहमति के आधार पर विवादित भूमि चक 4 बीपीएम तहसील श्रीविजयनगर खाता संख्या 119 में मु.नं. 75, 101 व 102 की कुल 12.663 है. कमाण्ड / अ.क. भूमि का विवादित भूमि के सहखातेदारान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 3 व 5 के मध्य खाता विभाजन किया जाकर पक्षकारान को निम्नलिखित तालिका में उनके नाम के सम्मुख अंकित भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है :

1	वादी सं. 1 रघुवीर	चक 4 बीपीएम मु.नं. 101 कि.नं. 1 से 10 प्रत्येक साबुलम, 11 से 15 प्रत्येक आधा बीघा(कि.नं. 6 से 10 से चिपता हुआ) कुल 3.163है. अ.क. तथा मु.नं. 75 कि.नं. 11/3 में 0.013है. में से 0.00325है. कमाण्ड(कि.नं. 11/2 के साथ चिपता दक्षिण दिशा में) इस प्रकार कुल 3.16625है. कमाण्ड/अ.क.
2	वादी सं. 2 सुभाष	चक 4 बीपीएम मु.नं. 102 कि.नं. 16 से 25 प्रत्येक सालम, 11 से 15 प्रत्येक आधा बीघा (कि.नं. 16 से 20 के साथ चिपता भाग) कुल 3.162है. अ.क. तथा मु.नं. 75 कि.नं. 11/3 में 0.013है. में से 0.00325है. कमाण्ड(कि.नं. 11/2 के साथ चिपता दक्षिण दिशा में) इस प्रकार कुल 3.16525है. कमाण्ड/अ.क.
3	प्रतिवादी सं. 3 बीरबलराम	चक 4 बीपीएम मु.नं. 101 कि.नं. 16 से 25 प्रत्येक सालम, 11 से 15 प्रत्येक आधा बीघा इस प्रकार कुल 3.162है. अ.क. एवं चक 4 बीपीएम मु.नं. 102 कि.नं. 1 से 10 प्रत्येक सालम, 11 से 15 प्रत्येक आधा बीघा इस प्रकार कुल 3.163है. अ.क. इस प्रकार दोनों मुरब्बों में कुल 6.325है. अ.क.
4	प्रतिवादी सं. 5 लक्ष्मण	चक 4 बीपीएम मु.नं. 75 कि.नं. 11/3 की शेष कुल 0.00650 है. कमाण्ड

उपर्युक्त विभाजन अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम से पृथक खाता में भूमि खातेदार दर्ज की जावे। भूमि की किस्म/प्रकृति, राहिन तथा अन्य अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 21.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैंसले के शुमार होकर दाखिल हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.08.20 11:28:58 IST
Reason: SelfAttested

R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीविजयनगर

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned with CamScanner